

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक १२-१२-१७

- संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...16353.../श्री निखिलेश कुमार त्रिपाठी, सब जज, गोपालगंज को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070 में नियमित प्रोन्नति देते हुए औरंगाबाद में पदस्थापित किया जाता है।
2. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...16354.../श्री सुनील कुमार मोदी, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए समस्तीपुर में पदस्थापित किया जाता है।
3. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...16355.../श्री दिलीप कुमार वर्मा, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए रोहतास (सासाराम) में पदस्थापित किया जाता है।
4. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...16356.../श्री राज कुमार प्रसाद, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, समस्तीपुर को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए औरंगाबाद में पदस्थापित किया जाता है।
5. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...16357.../श्री त्रिलोकी दूबे, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बाँका को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए मधुबनी में पदस्थापित किया जाता है।
6. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...16358.../श्री राजीव कुमार I, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए रोहतास (सासाराम) में पदस्थापित किया जाता है।
7. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...16359.../श्री गोपाल जी, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए रोहतास (सासाराम) में पदस्थापित किया जाता है।

8. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....16360/श्री अशोक राज, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए औरंगाबाद में पदस्थापित किया जाता है।
9. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....16361/श्री त्रिभुवन यादव, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए भोजपुर (आरा) में पदस्थापित किया जाता है।
10. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....16362/श्री अशोक कुमार सिंह, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिहारशरीफ को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए सुपौल में पदस्थापित किया जाता है।
11. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....16363/श्री अली अहमद, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2016-17 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान ₹ 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए खगड़िया में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(शिव महादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0/ पटना-15, दिनांक
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र016363/ पटना-15, दिनांक 22-12-17
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-78418 दिनांक-17.11.2017 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित सभी प्रोन्नत न्यायिक पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सभी प्रोन्नत न्यायिक पदाधिकारियों को निदेश है कि प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण हेतु विकल्प मौलिक नियमावली के नियम-FR-22 के तहत एक माह के अन्दर समर्पित करें अन्यथा प्रोन्नति की तिथि को नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।

22.12.17
सरकार के अवर सचिव।